

..... का पश हा ॥६

8-2-24 पत्रावली पेशहुनी वकील प्राधी अनुपस्थित। वकील
अप्राधी उपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई गयी।
सायं 6-10 बज चुके। बार-बार आवाज दिलवाने के
बावजूद प्राधी व वकील प्राधी में से कोई उपस्थित
नहीं। अतः अदम हाजरी। अदम पैरवी में प्राधी
का प्राथमिक-पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमाव होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)